



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072023-246975
CG-DL-E-03072023-246975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2778]
No. 2778]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ़ 12, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

सं. 16 /2023

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के तहत मदों के लिए आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2901(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के तहत मद की नीतिगत शर्त में संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू, ताज़ा या प्रशीतित: अन्य	प्रतिबंधित	भूटान से आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के 30 जून, 2023 तक मुक्त रूप से अनुमत है।	भूटान से आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के 30 जून, 2024 तक मुक्त रूप से अनुमत है।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के तहत भूटान से आलू का आयात बिना किसी आयात लाइसेंस के 30 जून, 2024 तक अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/02/एम-17/पीसी-2[क]/ई-3200]

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July 2023

No. 16 /2023

Subject: Amendment in import policy condition for items under ITC(HS) code 07019000 of Chapter 07 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy)

S.O. 2901(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of item under Chapter 07 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy):

ITC(HS)	Item description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
07019000	Potatoes, fresh or chilled: Other	Restricted	Import of Potatoes from Bhutan is permitted freely, without any license, up to 30 th June 2023.	Import of Potatoes from Bhutan is permitted freely, without any license, up to 30 th June 2024.

Effect of the Notification:

Import of Potatoes under ITC(HS) code 07019000 is allowed from Bhutan without any Import License, up to 30th June 2024.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/02/AM-17/PC-2(A)/E-3200]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.